

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1299 वर्ष 2009

चंद्रिका (मृत) द्वारा वि.प्र.गणअपीलार्थी (गण)

बनाम

सुदामा (मृत) द्वारा वि.प्र. एवं अन्यप्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

1. यह अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 10553 वर्ष 1983 में दिए गए अंतिम निर्णय एवं 24.01.2005 दिनांकित निर्णय के विरुद्ध है। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया और 29.07.1977 , 12.06.1978 और 04.05.1983 दिनांकित क्रमशः चकबंदी अधिकारी, सेटलमेंट अधिकारी चकबंदी और चकबंदी उपनिदेशक के निर्णयों की पुष्टि की।
2. कुछ तथ्यों, जिनमें संक्षिप्त बिन्दु शामिल हैं, अपील के निस्तारण हेतु उनका उल्लेख यहां आवश्यक है।
3. उच्च न्यायालय (एकल जज) ने आक्षेपित आदेश द्वारा मूल अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उ. प्र. जोतों की चकबंदी अधिनियम 1953 (एतद्धिनपश्चात "अधिनियम " के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत दिये गये तीनों निर्णयों – चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.1977, सेटलमेंट अधिकारी चकबंदी द्वारा दिनांक 12.06.1978 और उपनिदेशक चकबंदी द्वारा दिनांक 04.05.1983 , की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अभिपुष्टि की ।

4. अतः , संक्षिप्त प्रश्न जो असफल रिट याची द्वारा दायर इस अपील में उठता है, वह यह है कि, क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की रिट याचिका निरस्त करना न्यायोचित था और राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए तीनों आदेशों की अभिपुष्टि भी न्यायोचित थी ।

5. विवाद शिव सहाय के परिवार की दो शाखाओं के सदस्यों के बीच है । एक शाखा का प्रतिनिधि बेचू है जो कि प्रत्यर्थी है और दूसरी शाखा का प्रतिनिधि राजबलि है जो कि अपीलार्थी का हक पूर्वाधिकारी है । विवाद ग्राम- हेतिमपुर, परगना- शाहजहाँपुर, तहसील- देवरिया स्थित भूमि (प्लॉट नं. 248, 521, 289, 290, 294, 563, 564, 854) से सम्बंधित है । जिसका विवरण विशेष अनुमति याचिका के संलग्नक P-1 से संलग्नक P-7 तक विनिर्दिष्ट है ।

6. विवाद प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 9-क(2) के अन्तर्गत चकबंदी अधिकारी के समक्ष यह कहते हुए उठाया गया था, कि मूल अपीलार्थी के पिता स्व. राजबलि ने चोरी-छिपे बिना किसी अधिकार, कानूनी हक और हित के प्रश्रुत भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करा दिया । इसी विषय की जाँच राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की गई थी । हालांकि रिट न्यायालय सहित सभी राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मूल प्रत्यर्थी के हक-अधिकारी के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण के पक्ष में फैसला दिया गया ।

7. राजस्व प्राधिकारियों ने यह माना कि राजबलि जो कि मूल अपीलार्थी का हक-पूर्वाधिकारी है, का नाम राजस्व रिकार्ड में किसी अधिकार, हक या भूमि में हित के कारण नहीं दर्ज कराया जा सका । इसे तद्गुरूप राजस्व रिकार्ड से हटाने का निर्देश दिया गया ।

8. इस आदेश को मूल अपीलार्थी के हक-पूर्वाधिकारी और फिर मूल अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और अन्त में उच्च न्यायालय में असफल चुनौती दी गई । जिससे कि यह अपील रिय याची द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से दायर की गई ।

9. इस अपील के लम्बन के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो गई और उसका विधिक प्रतिनिधि विचाराधीन वाद को लड़ने के लिए रिकार्ड पर लाया गया ।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

10. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री टी. एन. सिंह और प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी. नरसिम्ह, को सुना ।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हमें इस अपील में कोई भी गुणागुण नहीं मिला ।

12. हमारे सुचितित विचार से इस अपील में आक्षेपित निष्कर्ष तथ्य का अनुवर्ती निष्कर्ष होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उच्च न्यायालय पर इसकी रिट अधिकारिता में बाध्यकारी माना गया, यह इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी है, अतः इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अन्यथा भी गुणागुण के आधार पर निम्नलिखित कारणों से आक्षेपित निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं दिखता है ।

13. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर हम पाते हैं, कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्डों में बेचू के नाम पर लगातार दर्ज थी । जिससे प्रत्यर्थीगण ने अपना अधिकार, हक और भूमि में हित का दावा किया था ।

14. जहां तक मूल अपीलार्थी के हक-पूर्वाधिकारी राजबलि के दावे का संबंध था, वह लालजी (बेचू का भाई), जैसा कि वंशावली चार्ट से स्पष्ट है, के माध्यम से परिवार की अन्य शाखा का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है । अतः यह ठीक ही अवधारित किया गया, कि राजबलि को बेचू के हिस्से में कोई अधिकार, हक और हित नहीं था क्योंकि बेचू का हिस्सा उसके विधिक प्रतिनिधियों अर्थात् प्रत्यर्थीगण को स्थानान्तरित हो गया ।

15. हमारे दृष्टिकोण से उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक जाँच पर आधारित है ; दूसरा, यह साक्ष्यों के सम्यक् मूल्यांकन पर आधारित है, जो कि राजस्व प्रविष्टियाँ हैं ; तीसरा, यह किसी विधिक प्रावधान या मामले के रिकार्ड के विरुद्ध नहीं पाया गया है ; और अंत में, यह तर्क से समर्थित है । अतः हमें इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है ।

16. अपीलार्थीगण (रिट याची) के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि तथ्य के आधार पर रखा है लेकिन जैसा हम ऊपर अवधारित कर चुके हैं , उसके आलोक में , उनकी प्रार्थना में कोई गुणागुण नहीं है ।

17. पूर्ववर्ती बहस के दृष्टिगत अपील गुणागुण से रहित पायी गयी है । यह असफल है और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

तद्गुरूप निरस्त की जाती है ।

.....

(न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे)

.....

(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

नई दिल्ली;

अप्रैल 15, 2019

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।